तारीख हुक्म

हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
राजस्व अपील मु सं. 11/2015 डूंगरराम बनाम पीथाराम आदि

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

::आदेश:: 2015/00012

14.9.2018

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। अपीलान्ट स्वयं ने उपस्थित होकर जिसकी पहचान वकील अपीलान्ट ने की व प्रार्थना पत्र दिनांक 30.9.2015 को प्रस्तुत कर अपील विड्रावल का निवेदन किया। इसके पश्चात दिनांक 22.1.2018 को उनके द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 10 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर वकील अपीलान्ट को सुना गया। वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दौहराते हुवे निवेदन किया कि अपीलान्ट की कृषि भूमि के विभाजन के विरूद्ध पारित आदेश की अपील श्रीमान् के समक्ष जैरकार है। अपील प्रस्तुत करते समय क्षेत्राधिकार का सही ज्ञान नहीं होने का श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जबकि अपील राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के समक्ष होनी चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील लौटाई जावें।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली वर्तमान में रेस्पोडेन्ट की तलबी में जैरकार है। प्रार्थना पत्र विड्रावल स्वीकार योग्य है जबकि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 10 तहसीलदार के निर्णय के विरूद्ध अपील का श्रवणाधिकार इसी न्यायालय में निहित होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इस्तदुआ वकील अपीलान्ट अपील विड्रा करने की स्वीकार की जाती है। अपील अपीलान्ट जरिये विड्रावल खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 14.9.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

अति.जिला कलक्टर(प्रशा.)
बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner